संख्या-144 /2026/।/1518028/2026/71-1002(099)/5/2025

प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 500 बेडेड अस्पताल अस्पताल एवं 100 बेडेड क्रिटीकल केयर ब्लॉक हास्पिटल हेतु एस0टी0पी0/ ई0टी0पी0 की स्थापना का कार्य **हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2026-27/355, दिनांक 06.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 500 बेडेड अस्पताल एवं 100 बेडेड क्रिटीकल केयर ब्लॉक हास्पिटल हेतु एस0टी0पी0/ ई0टी0पी0 की स्थापना का कार्य हेतु मूल लागत के सापेक्ष टेन्डर लागत एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराते हुए टेण्डर कास्ट के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 500 बेडेड अस्पताल अस्पताल एवं 100 बेडेड क्रिटीकल केयर ब्लॉक हास्पिटल हेतु एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना का कार्य हेतु शासनादेश संख्या-35/2025/।/884276/2025/71-1002(099)/5/2025, दिनांक 19.02.2025 द्वारा रू0 358.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना हेतु रू0 219.387 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

तदोपरान्त शासनादेश संख्या-125/2026/।/1479718/2026/71-1002(099)/5/2025, दिनांक 30.09.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 19.02.2025 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 358.42 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश दिनांक 18.06.2026 के अनुक्रम में टेण्डर लागत रू0 352.78 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 500 बेडेड अस्पताल अस्पताल एवं 100 बेडेड क्रिटीकल केयर ब्लॉक हास्पिटल हेतु एस0टी0पी0/ ई0टी0पी0** की स्थापना का कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-42-राजकीय मेडिकल कालेज,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

झांसी के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में **रू0 133.393 लाख (रू0 एक करोड़ तैंतीस लाख उन्तालीस हजार तीन सौ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर एवं बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत विषयक शासनादेश संख्या-35/2025/I/884276/2025/71-1002(099)/5/2025, दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,33,39,300 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख उनतालीस हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054200 मेडिकल कालेज झांसी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

हरीश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि० लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरीश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।